



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-108/2021
दिनांक : 01.06.2021

कार्यालयादेश

राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या DMU/2020/CR.92/DisM-1 दिनांक 30.05.2021 के आलोक में विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक विभाग न्यूनतम एक कर्मी के साथ चक्रानुक्रम में तथा प्रशासनिक कार्यालय कार्यालय 25% कर्मियों (न्यूनतम एक कर्मी) की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।

साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 729/2021-सीएक्स-3 दिनांक 30.05.2021 के आलोक में क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज का कार्यालय भी 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुला रहेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधिक कर्मियों को अनुभाग प्रमुख अनुमति प्राप्त कर बुला सकेंगे।

ऑनलाइन कक्षाएँ पूर्ववत जारी रहेगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
01/06/21

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, सभी कार्यालय प्रमुख और अकादमिक निदेशक-क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली